

29.05.2024

नारायण उपखण्ड की अधिकारी एवं पट्टेन क्लर्क कलक्टर B.H.2  
पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील प्रतिवादी उपस्थित।  
वकील वादी की तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस करनी  
चाही वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने  
तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की  
है। वकील प्रतिवादीगण ने भी बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने पर कोई  
आपत्ति प्रकट नहीं की गई है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण  
अधिवक्ता की एक बहस पर मनन किया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्राथमिक  
डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त विभाजन  
के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध  
प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पांसल  
प0ह0 पांसल भू0अ0नि0 पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित  
आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 04 के नाम दर्ज  
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या  
01 व 04 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1. नंदराम 1/2 नारायणलाल 1/2 पिता उगमा जाट सा0 मलाण सुभाषनगर  
भीलवाड़ा के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की  
जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
2924/3	0.3161	-
किता-01	0.3161 है0	-

2. गोपीलाल पिता लादूलाल 1/2 जाट सा0 मोखमपुरा, भंवर लाल पिता हीरा  
1/2 जाट सा0 देह खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार  
राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
2924/2	0.3161	-
किता-1	0.3161 है0	-

3. शामलाती -गोपीलाल पिता लादूलाल 1/4 सा0 मोखमपुरा, भंवरलाल पिता  
हीरा 1/4 जाट सा0 देह, नंदराम पिता उगमा 1/4 जाट, नारायणलाल पिता  
उगमा जाट सा0 मलाण सुभाषनगर भीलवाड़ा के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा  
अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
2924/1	0.1139	-
किता-1	0.1139 है0	-

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा  
फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली  
फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो।

*Shad*  
(आब्हाद निवृत्ति सोमनाथ)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पट्टेन सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी-आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

- 1-श्री नारायण लाल पुत्र उगमा जाट <sup>उनवान</sup> निवासी यू.आई.टी. के पीछे मलाण सुभाषनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।  
2-नन्दराम पुत्र उगमा जाट निवासी चारभुजा मन्दिर के पास मलाण, सुभाषनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

—वादीगण

- <sup>बनाम</sup>  
1-श्री भंवर लाल पुत्र हीरा जाट निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।  
2-लेहरी पुत्री हीरा जाट निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा (नाम डिलीट)  
3-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।  
4-गोपीलाल पुत्र लादूलाल जाट निवासी मोखमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

—प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट

प्रकरण संख्या 21/2023 राजस्व वाद

वादीगण की और से अधिवक्ता श्री रतनलाल चौधरी एवं अनिल कुमार धाकड उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 01 की और से श्री लादूलाल जाट एवं प्रतिवादी संख्या 04 की और से श्री श्रवणकुमार सैन उपस्थित - में इस वाद के आज दिनांक 29.05.2024 को आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि और इस वाद के मामले में लेखों प्रतिशत रूपये की राशि आज दिनांक से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत को दी जावे।

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 04 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पांसल प0ह0 पांसल भू0अ0नि0क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 04 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. नंदराम 1/2 नारायणलाल 1/2 पिता उगमा जाट सा0 मलाण सुभाषनगर भीलवाडा के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
2924/3	0.3161	-
किता-01	0.3161	-

2. गोपीलाल पिता लादूलाल 1/2 जाट सा0 मोखमपुरा, भंवर लाल पिता हीरा 1/2 जाट सा0 देह खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।


आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
2924/2	0.3161	-
किता-1	0.3161 है0	-

*Handwritten Signature*  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर

3. शामलाती -गोपीलाल पिता लादूलाल 1/4 सा0 मोखमपुरा, भंवरलाल पिता हीरा 1/4 जाट सा0 देह, नंदराम पिता उगमा 1/4 जाट, नारायणलाल पिता उगमा जाट सा0 मलाण सुभाषनगर भीलवाडा के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
2924/1	0.1139	-
किता-1	0.1139 है0	-

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिकी का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।  
आज दिनांक 29.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
(आब्दाद निवृत्ति सोमनाथ)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
भीलवाडा